



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-23042026-272025
CG-WB-E-23042026-272025

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1977]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948

No. 1977]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

आदेश

कोलकाता, 20 अप्रैल, 2026

का.आ. 2050(अ).— अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1493(ई) दिनांक 20 मार्च 2026 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 6(1) (iii) और खंड 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खंड 5 एवं 6(2) में उल्लिखित कारकों पर विचार करने के उपरांत मैं, नीरज कुलहरि, उप पटसन आयुक्त, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि आप किसी भी समय अपने स्वयं के खाते में और/ या तीसरे पक्ष के खाते में कच्चे जूट की मात्रा नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित मात्रा से अधिक नहीं रखेंगे :-

	कच्चे जूट के स्टॉकिस्ट/ जूट मिलों की श्रेणी	कच्चे जूट की अधिकतम मात्रा रखी जाएगी
(क)	(ख)	(ग)
1	ऐसे स्टॉकिस्ट जो कच्चे जूट के बेलर हैं और जिनके एक ही परिसर में कच्चा जूट बेलिंग प्रेस है तथा जो पटसन आयुक्त कार्यालय से पंजीकृत हैं।	शून्य।

		उन्हें निम्नलिखित अनुच्छेद 2 में दी गई समय-सीमा के भीतर अपने कब्जे में रखे कच्चे जूट की पूरी मात्रा अवश्य बेच देनी चाहिए।
2	कच्चे जूट के स्टॉकिस्ट की अन्य सभी श्रेणियाँ	शून्य
3	कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाले जूट मिल / निर्माण इकाईयाँ	चालू उत्पादन दर के अनुसार 45 दिनों की खपत

2. मैं आगे निदेश देता हूँ कि अगर यह धारित किए जा रहे कॉलम (ख) में उल्लिखित कच्चे जूट व्यापारियों की श्रेणी के अनुरूप कॉलम (ग) में उल्लिखित मात्रा से अधिक होती है तो 5 मई 2026 के भीतर कच्चे जूट की अतिरिक्त मात्रा को बेच दें और 15 मई 2026 के भीतर परेषिती (कन्साइनी) को उक्त मात्रा की डिलीवरी वास्तविक रूप से करें तथा उसके तुरंत बाद सत्यापन के लिए समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कच्चे जूट की अधिक मात्रा की बिक्री/डिलीवरी का उल्लेख करते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट ईमेल (jcoffice@jutecomm.gov.in) द्वारा हमें भेजें। अगर आपके पास उपर्युक्त सीमा से ज्यादा स्टॉक है, तो नए स्टॉक की खरीद तुरंत रोक दें जब तक कि स्टॉक उल्लिखित सीमा से नीचे न आ जाए।

3. यदि आपने कच्चा जूट स्टॉक की बिक्री के लिए संविदा निष्पादित की है तो जबतक यह खरीदार को भौतिक रूप से सुपुर्द नहीं कर दिया जाता तबतक विक्रेता द्वारा धारित स्टॉक विक्रेता का धारित स्टॉक समझा जाएगा।

4. यदि आप इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं तो आप आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के साथ पठित पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 11 के अंतर्गत दंडनीय होंगे, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

5. मैं आगे यह भी निर्देश देता हूँ कि कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाले जूट मिल / उत्पादन इकाईयों पर स्टॉक-सीमा के मामले में इस आदेश से छूट देने के लिए ऐसे संगत दस्तावेजों जिनसे निर्यात प्रतिबद्धता या प्राइवेट बाजार में बिक्री का पता लगता हो, के साथ अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मामले-दर-मामले आधार पर विचार किया जाएगा। आयातित कच्चा जूट को इस आदेश में बताई गई स्टॉक-सीमा की गणना से छूट रहेगा।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और किसी भी समय इसे संशोधित करने के आरक्षित अधिकार के तहत अगले आदेश तक वैध माना जाएगा।

7. मैं आगे यह भी निर्देश देता हूँ कि यह आदेश भारतीय जूट निगम पर लागू नहीं होगा। हालांकि जूट मिलों द्वारा रखे गए उस स्टॉक जो भारतीय पटसन निगम द्वारा बेचा गया है, पर यह स्टॉक-सीमा लागू होगा।

8. इसके अलावा, पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 9(1) के उप-खंड (बी) और (सी) के अनुसरण में, मैं अपने अधिकृत प्रतिनिधियों तथा राज्य पुलिस अधिकारियों को परिसरों सहित गोदामों में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए तथा इस आदेश के जवाब में उनके द्वारा रखे गए स्टॉक को सही ढंग से घोषित किया गया है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए उनके कब्जे के अधीन उनके बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा पूर्व में जारी किए गए और फिलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के अनुपालन की जांच करने एवं कच्चे जूट को जब्त करने का जिसके बारे में उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे इस आदेश के उल्लंघन में संग्रहित किया गया है तथा पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत अन्य कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, मैं सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश देता हूँ।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(40)/2019-I(ई)]

नीरज कुलहरि, उप पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES
(Office of the Jute Commissioner)

ORDER

Kolkata, the 20th April, 2026

S.O. 2050(E).— In partial modification of the order published in The Gazette of India, Part II, Section 3(ii) vide notification no. S.O. 1493(E) dated 20th March 2026 and after giving consideration to factors enumerated in Clause 5 and 6(2) and in exercise of the powers conferred on me by Clause 6(1) (iii) & Clause 5 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I, Neeraj Kulhari, Deputy Jute Commissioner, hereby direct that at no point in time you will hold more quantity of raw jute on your own account and / or on account of third parties than mentioned in the table below:

	Category of raw jute Stockists/ Jute Mills	Maximum quantity of raw jute to be held
(a)	(b)	(c)
1	Stockists who are raw jute balers, having raw jute Baling Press in the same premises and registered with o/o Jute Commissioner	NIL. They must sell the entire quantity of raw jute in their possession by timeline given in para 2 below.
2	All other categories of Stockists/ Balers of raw jute	NIL
3	Jute Mills / Manufacturing units of Jute Goods from raw jute	45 days' consumption as per current production rate.

2. I further direct you to sell the quantity of raw jute if it is in excess of the quantity mentioned in column (c) corresponding to the category of raw jute traders mentioned at column (b) being held by you by 5th May 2026 and physically deliver the same to the consignee within 15th May 2026 and send a compliance report indicating sale / delivery of the excess quantity of raw jute along with supporting documentary evidence for verification by email (jcoffice@jutecomm.gov.in) immediately. If you are holding stock excess to the above limit, purchase of fresh stock shall be stopped forthwith till stock comes below the above-mentioned limit.

3. If you have contracted the sale of raw jute stock, the stock held by seller shall be considered to be held by the **seller** until the same is **physically delivered** to the buyer.

4. If you fail to comply with the provisions of this Order, you shall be punishable under clause 11 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 read with Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955 which provides for imprisonment and fine.

5. I further state that for the stock limit on Jute Mills/ Manufacturing units of jute goods from raw jute, exemption from this order will be considered on a case-to-case basis after receipt of representation supported by relevant documents showing export commitments or sale in private markets. The imported raw jute shall remain exempt from the calculation of the stock limits provided in the order.

6. This Order shall come into force with immediate effect and remain valid till further orders subject to reservation of right to modify the same at any point of time.

7. I further state that this Order shall not be applicable to Jute Corporation of India Ltd. However, the stock held by the jute mills sold by Jute Corporation of India Ltd. shall be covered by the stock limits.

8. Further, in pursuance of sub-clause (b) and (c) of clause 9(1) of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I direct to afford necessary facilities to my authorized representatives and State Police officials to enter and search their premises including the godowns and also to inspect their books and other records under their possession with a view to verifying whether or not stocks held by them have been correctly declared or not in response to this Order and also to seize raw jute which he/she has reason to believe to have been stored in contravention to this order and to take any other legal action within provisions of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 and Essential Commodities Act, 1955.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(40)/2019-I(E)]

NEERAJ KULHARI, Dy. Jute Commissioner